FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0049 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/03/2025 18:59 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
5	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
6	भा दं सं 1860	420
7	भा दं सं 1860	467
8	भा दं सं 1860	468
9	भा दं सं 1860	471
10	भा दं सं 1860	409
11	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2014 **Date To (दिनांक तक):** 28/02/2014

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/03/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/03/2025 18:59:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 88 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** TEHSIL KARYALYA CHHTARGARH, JILA BIKANER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAHAVEER PARSAD SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAVATARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1977 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	3 B 21, SUKHADIYA NAGAR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	3 B 21, SUKHADIYA NAGAR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURENDRA KMUMAR JAKHAR		पिता:SATYPRAKESH JAKHAR	1. 77,PATEL NAGAR,TARACHAND VATIKA ROAD,PURANI AABADI,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
2	KULDEEP SINGH		पिता:RAJENDRA SINGH	1. GAON UTARADA BAS,BHADRA,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA
3	DIPTI		पिता:SITARAM	1. 327,PRTHVIRAJ NAGAR,UIT COLONY,BHAGWANGANJ,AJMER,RAJASTHAN,INDIA
4	RAJESH KUMAR SHARMA		पिता:PHOOLCHAND SHARMA	1. GAON POST GANDHRA, ROHTAK,रोहतक,हरियाणा,INDIA
5	SARVARDEEN		पिता:MAJHI KHAN PADIHAR	1. BHUTO KA VAS,MASJID KE PASS,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
6	MAKASOOD ALI SAMMAN		पिता:MUSE KHAN	1. 79,INDIRA COLONY,BIKANER,RAJASTHA
7	SUBHASH CHANDRA		पिता:OMPRAKASH	1. WARD 04,BPO KOHALA,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA
8	MUKESH GODARA		पिता:MOTILAL GODARA	1. 164,SECTOR 06,NAJADIK CHOONA FATAK,Hanumangar Janction,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA
9	JASVEER SINGH		पिता:MALKEET SINGH	1. B 78,KANTA KHTOORIYA COLONYA,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
10	SURENDRA KUMAR		पिता:POORANCHAND	1. GAON PATARODA,ANOOPGARH,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
11	SUSHIL MEENA		पिता:RAJKUMAR MEENA	1. GALI NO.18,DARGAH VALI GALI,ASHOKA BHAVAN KE SAMANE,RAMPURA BASTI,LALGARH,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
12	VIRENDAR SINGH		पिता:CHANAN SINGH	1. 1 B,POST OFFICE 2B,SHRIKARANPUR,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
13	AJENDRA SINGH BHATI		पिता:BHANI SINGH	1. BANGALI MANDIR KE PASS,,RANI BAZAR,BIKANER,

				RAJASTHAN,INDIA
14	JAYSINGH GUJAR		पिता:PRABHATRAM GUJAR	1. MEERAPUR,POST DAWARIKAPURA ,,VAYA PARGAPURA,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
15	DEVRAJ SINGH		पिता:JUGGA SINGH	1. 34 POOJA ANKLEV FEZ 1,KARNEE NAGAR,CHHTARGARH,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
16	VIKASH POONIYA		पिता:RAJENDRA POONIYA	1. BAJRANG COLONY,VALLBH GARDAN,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
17	ANITA SHARMA		पिता:AATMARAM SHARMA	1. 11/282,MUKTAPARSAD NAGAR,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
18	PEMARAM SARAN AND OTHERS		पिता:TULCHHARAM SARAN	1. GAON RAMNAGAR,POST RANER MAY,DAMOLAI,TAHASIL CHHATARGARH,BIKANER,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	अनुमानित करीब 25 करोड	25,00,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,00,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि ब्यूरो में दर्ज शिकायत आर नंबर 1426 दिनांक 13.03.2024 में धारा 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) के तहत भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी के विरूद्ध कार्यालय जिला कलक्टर भू-अभिलेख बीकानेर से पूर्व अनुमोदन जरिए पत्रांक - एफ/1-डी-18()एलआर/ 2024/5231 दिनांक 25.07.2024 प्राप्त किया गया तथा प्रमुख शासन सचिव राजस्व (गु्रप-1) विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक - प.10 (23)राज-1/2024 पार्ट जयपुर दिनांक 25.07.2024 के संलग्न जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा गत 10 वर्षों में राजकीय भूमि के अन्तरण के प्रकरणों की जांच रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रेषित की गई। जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है। उक्त प्राप्त जांच रिपोर्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील छतरगढ़ में राजकीय भूमियों को पुरानी तिथियों के संदर्भित अपुष्ट आवंटन आदेशों के आधार पर अनाधिकृत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने से संबंधित शिकायत के क्रम में पाया गया कि ग्राम मोतीगढ़, नापासरिया व कुण्डा तहसील छतरगढ़, जिला बीकानेर में लगभग 3500 बीघा अराजीराज भूमि को फर्जी आवंटन चढाकर भू-माफियाओं को बेचने के संबंध में श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर के कार्यालय में पी.एल.एस. पोर्टल पर दर्ज पत्र संख्या 2828 दिनांक 18.01.2024 प्राप्त होने पर जिला कलक्टर बीकानेर के निर्देशानुसार श्री यक्ष चौधरी, आई.ए.

एस.(प्रशिक्षु) द्वारा दिनांक 07.02.2024 को शिकायत से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किया गया। तत्पश्चात जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश क्रमांक- सी.बी./स्था/जांच/विविध/2024/799-815 दिनांक 07.02.2024 से श्री यक्ष चौधरी, आई.ए. एस.(प्रशिक्षु) एवं श्री सुभाष चौधरी जिला रसद अधिकारी प्रथम, बीकानेर के निर्देशन में अग्रेतर जांच हेतु जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी को तहसील छतरगढ़ से शिकायतों से संबंधित रिकॉर्ड जब्त कर निष्कर्षात्मक टिप्पणी से अवगत कराने के निर्देश दिये गये। जब्त किये गये रिकॉर्ड की प्रारंभिक जांच करने पर जांच कमेटी को तहसील छतरगढ़ के अन्य ग्राम केलां, सरदारपुरा, राजासर भाटियान, घेघड़ा बारानी, सत्तासर बारानी, लूणखां बारानी गांवों में भी राजकीय भूमियां को पुरानी तिथियों के संदर्भित अपुष्ट आवंटन आदेशों के आधार पर अनाधिकृत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की अनियमितता की आशंका होने पर तहसीलदार छतरगढ़ से ग्राम मोतीगढ़, नापासरिया, केलां, सरदारपुरा, राजासर भाटियान, कुण्डा, घेघड़ा बारानी, सत्तासर बारानी, लूण खां बारानी से संबंधित आवश्यक संबद्ध सम्पूर्ण रिकॉर्ड तलब किया गया। तहसील छतरगढ़ से प्राप्त ग्राम मोतीगढ़, नापासरिया, केलां, सरदारपुरा, राजासर भाटियान, कुण्डा, घेघड़ा बारानी, सत्तासर बारानी, लूण खां के नामान्तरकरणों की जांच करने पर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 व राजस्थान भूमि विक्रय एवं आवंटन नियम 1975 (उपनिवेशन क्षेत्र) के तहत निर्धारित प्रारूपों में वर्ष 1971-75 व इसके आगामी वर्षो की तिथियों के संदर्भित आवंटन आदेशों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना पाया गया। ग्राम मोतीगढ़ के 59 व्यक्ति, नापासरिया के 5, सरदारपुरा के 11, राजासर भाटियान के 4, कुण्डा के 2, घेघड़ा बारानी उपनिवेशन क्षेत्र के 10, सत्तासर बारानी उपनिवेशन क्षेत्र के 8, लूण खां बारानी उपनिवेशन क्षेत्र के 2 इस प्रकार कुल 101 व्यक्तियों को नामान्तरकरण के आधार पर अदेय लाभ दिया जाकर 1546.7903 हैक्टेयर राजकीय भूमि को प्रभावित कर अनुमानित करीब 25 करोड़ रूपये की राजस्व हानि कारित की गई। ग्राम मोतीगढ़, नापासरिया, केलां, सरदारपुरा, राजासर भाटियान, कुण्डा (समस्त ग्राम राजस्व क्षेत्र) में राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के अनुसार तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बीकानेर (उत्तर) द्वारा वर्ष 1971 व पश्चातवर्ती अवधि में भूमिहीन श्रेणी के काश्तकारों को कृषि प्रयोजनार्थ 10 वर्षीय अवधि के लिए आवंटन नियमों की शर्तों के अध्यधीन आवंटन बतौर गैर खातेदारी श्रेणी में किया गया था। इस श्रेणी के आवंटियों को 10 वर्ष की अवधि के पश्चात आवंटन पट्टे में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना यथा मौके पर लगातार कब्जा काश्त व लगान की अदायगी आदि के बाद खातेदारी अधिकार प्रदत किये जाने के अध्यधीन प्रावधान था। इन शर्तों की पालना करने वाले आवंटियों को तत्समय नियमानुसार आवंटित भूमि का कब्जा व गैर खातेदार/खातेदार की प्रविष्टियां रिकॉर्ड में अंकित की जा चुकी थी। इन नियमों के तहत आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने वाले आवंटियों के आवंटन भी विगत समय में निरस्त हो चुके हैं। इन नियमों के तहत आवंटित की गई भूमियां उक्त ग्रामों के मरूस्थलीय क्षेत्र में कृषि अयोग्य होने से संभवतः तत्कालीन आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं करने से ऐसे आवंटित भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में तब से अब तक राजकीय भूमियों के रूप में संरक्षित रही हैं। इन गावों का भू-सर्वेक्षण/भूप्रबंध वर्ष 1990-92 तक होने पर खसरा नंबर, खसरा मानचित्र व भूमि की ईकाई में परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड उक्तानुसार संधारित है। उक्त ग्रामों की सरकारी भूमियों को सरकारी खाते से हटाकर तथाकथित व्यक्तियों के नाम से पूर्व अवधि के आवंटन आदेशों की अपुष्ट/छद्म/कूटरचित नकलें बनाकर रिकॉर्ड में प्रविष्टियां की जाकर सरकारी भूमियों को खुर्द-बुर्द किया जाना प्रकट हुआ है। इन नकलों में आवंटित भूमि का विवरण यथा खसरा नंबर व भूमि की मात्रा तथा भूमि की ईकाई वर्तमान रिकॉर्ड से सुमेलित/मिलान नहीं होते हुए भी जान बूझकर पूर्व आवंटित भूमियों के आदेशों को संदर्भित करते हुए उपलब्ध सरकारी भूमियों को रिकॉर्ड से हटाकर व्यक्तियों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की अनियमितता की है। वर्तमान रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टियां व पूर्व अवधि के तथाकथित रचित आदेशों में अंकित प्रविष्टियों के मिलान के अभाव में जरिए नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, राजस्व अधिकारी ने अपने अपने कर्तव्यों के विपरीत व अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर की गई है। जिनके ग्राम वार नामान्तरकरण विवरण निम्न प्रकार है:- ग्राम मोतीगढ़ नामान्तरकरण संख्या 1095 दिनांक 10.10.2023, 1096, 1097, 1104, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 1121, 1154, 1167, 1149, 1155, 1162, 1172, ग्राम नापासरिया नामान्तरकरण संख्या 424, 427, 428, 432, ग्राम सरदारपुरा नामान्तरकरण संख्या 1807, 4288, 4291, ग्राम कुण्डा नामान्तरकरण संख्या 1192, 1194, ग्राम घेघड़ा बारानी उपनिवेशन क्षेत्र नामान्तरकरण संख्या 366, 391, 325, 326, ग्राम सत्तासर बारानी उपनिवेशन क्षेत्र नामान्तरकरण संख्या 831, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 903, शुद्ध पत्र संख्या 14 दिनांक 11.02.2022, ग्राम लूण खां बारानी उपनिवेशन क्षेत्र नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांक 23.01.2024 हैं। तहसील छतरगढ़ से जांच हेतु प्राप्त किये गये रिकॉर्ड में ग्राम घेघड़ा बारानी, सत्तासर बारानी, लूण खां बारानी के राजस्व रिकॉर्ड नामान्तरकरण आदि की जांच में पाई गई अनियमितताओं का ग्रामवार, नामान्तरकरण वार जांच रिपोर्ट में अंकित है । ग्राम घेघड़ा बारानी, सत्तासर बारानी, लूण खां बारानी छतरगढ़ तहसील इगानप(उपनिवेशन क्षेत्र) के प्रथम चरण क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इन ग्रामों की आंशिक भूमियां सिचिंत क्षेत्र की योजना चकबंदी में आने के पश्चात शेष रही भूमियां उक्त मूल गावों की सीमा में रही हैं जो की बारानी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित हैं। इन गावों में उपनिवेशन अधिनियम व इन अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम, उप नियम एवं शर्तें प्रभावशील हैं। इन क्षेत्रों में तत्कालीन आवंटन अधिकारियों

द्वारा भूमिहीन श्रेणी के कृषकों को नियमों के अधीन निर्धारित सीमा तक आवंटन किया गया है। इन नियमों के तहत किये गये समस्त भूमि आवंटन विहित शर्तों के अध्यधीन निर्धारित कीमत व किश्तों में अदायगी की शर्त पर किया जाता है। आवंटन नियमों के नियम 13 के अनुसार ऐसे समस्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से किये जाते हैं। आवंटन के पश्चात जारी किये जाने वाले आवंटन आदेश के अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि का 03 माह की अवधि में कब्जा प्राप्त करने का प्रावधान है। निर्धारित अवधि में कब्जा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन नियम 13(8) के तहत आवंटन को खारिज करने के प्रावधान हैं। इस प्रकार निर्धारित अवधि में विहित किश्तों की अदायगी नहीं करने की स्थिति में भी नियम 17(8) के तहत निरस्त करने का प्रावधान है। ई.गा.न.प. के प्रथम चरण में (उक्त ग्रामों के क्षेत्राधीन) सामान्य आवंटन श्रेणी में शासन के आदेश दिनांक 15.01.1987 से आवंटन पर रोक है। उक्त अवधि से पूर्व व पश्चातवर्ती तिथियों में आवंटन का संदर्भित करते हुए तैयारशुदा आवंटन आदेशों के संलग्न टी.सी. के साक्ष्य स्वरूप किसी प्रकार का दस्तावेज संलग्न नहीं है और ना ही पुरानी तिथियों में मौके पर लगातार कब्जा काश्त की पुष्टि में कोई दस्तावेज संलग्न है। उक्त ग्रामों के नामान्तरकरण रजिस्टरों की जांच के दौरान प्रकट हुआ है कि उक्त नियमों के तहत निर्धारित आवंटन आदेश के प्रारूप में अपुष्ट एवं कपटपूर्ण तरीके से सरकारी भूमियों की उपलब्धता के आधार पर आवंटन का विवरण दर्ज किया गया है, जिन पर तत्कालीन आवंटन अधिकारी व कार्यालय की मुहर का स्वरूप तैयार किया जाकर नकल के सत्यलिपि के प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ लगाकर रिकॉर्ड में अमलदरामद करने की मांग पर हल्का पटवारी, भू.अ.नि. व राजस्व अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत पत्रों की जांच व आवंटन पत्र की वैद्यता को जांचे बिना व आवंटन अधिकारी कार्यालय से विगत समय के आवंटन की पुष्टि/वैद्यता, विद्यमानता के सत्यापन के बिना अपनी मनमर्जी से जान-बूझकर सरकारी भूमियों का हस्तांतरण/आवंटन की कार्यवाही तथाकथित आवंटियों के नाम दर्ज करने की गंभीर अनियमितता की है, जिससे करोड़ों रूपये की राजस्व हानि कारित होकर सरकारी भूमि खुर्द-बुर्द हो चुकी है। इस प्रकार इन ग्रामों में तथाकथित व्यक्तियों के नाम से दर्ज की गई प्रविष्टियां अनाधिकृत व दोषपूर्ण प्रकट होती है। ग्राम सत्तासर बारानी (इ.गा.न.प. प्रथम चरण उपनिवेशन क्षेत्र) में शुद्धिपत्रों से राजकीय भूमियां का तथाकथित व्यक्तियों के नाम से अनाधिकृत अंकन इस प्रकार है कि शुद्धिपत्र (फर्द-बदर-पी27) - राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 166 के अनुसार शुद्धिपत्र, अधिकार अभिलेख(रिकॉर्ड ऑफ राईट्स) में हुई अशुद्धियों और भूल-चूक को सुधारने का जरिया है। गत चौसाला रिकॉर्ड जमाबंदी की तुलना में चालू रिकॉर्ड में हुई लेखकीय (क्लेरिकल) मिस्टेक को सुधारने हेतु इस प्रपत्र का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार रिकॉर्ड में लिपिकीय अशुद्धियों के लिए आदेश फर्द-बदर पर लिये जाते हैं। जमाबंदी के इन्द्राजात बाद के अभिलेखों में तब तक नहीं बदले जावें जब तक की इस प्रयोजन हेतु नामान्तरणों में परिवर्तन करने के लिए पूर्वगामी आदेश प्राप्त कर लिया गया हो सिवाय उस दशा में जबकि परिवर्तन केवल किसी लिपिकीय लेखकीय अशुद्धि को हटाना हो अर्थात् जमाबंदी के इन्द्राजात को दूसरी प्रति में नकल करने में कोई भूल अथवा किसी नामान्तरकरण को जमाबंदी में सम्मिलित करने में कोई त्रुटि रह गई हो, जिसको सुधारने के लिए किसी नामान्तरकरण आदेश में परिवर्तन नहीं करना पड़े, ऐसी गलतियों को सही करने के लिए आदेश शुद्धि पत्र में लिया जाना चाहिए। ग्राम सतासर बारानी से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड, नामान्तरकरण की जांच करने पर पटवारी व तहसीलदार द्वारा ग्राम सतासर की बारानी सरकारी भूमियों को शुद्धिपत्र (प्रपत्र 27) के जरिए पूर्व आवंटन आदेशों को संदर्भित करते हुए सरकारी भूमियों को निजी व्यक्तियों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की अनियमितता प्रकट हुई है। इन शुद्धिपत्रों के जरिए हस्तांतरित की गई सरकारी भूमि के संबंध में प्रभावित व्यक्तियों के आवेदन पत्र व शुद्धिपत्रों की प्रतियां जांच कमेटी को प्राप्त नहीं हुई। ग्राम सत्तासर की वर्तमान जमांबदी के खाता संख्या 01 राजकीय भूमियों का खाता में से हस्तांतरित की गई भूमियों के सामने शुद्धिपत्रों के अंकित नोट के आधार पर शुद्धिपत्र के जरिए राजस्व रिकॉर्ड में अंकित की गई प्रविष्टियां शुद्धिपत्र के दायरे से बाहर की गई हैं, जिनके शुद्धिपत्र संख्या 05 से 26 तक हैं, जिनके नामान्तरकरण संख्या जांच रिपोर्ट में विशेष विवरण कॉलम में अंकित हैं। ग्राम सत्तासर बारानी में पटवारी व तहसीलदार द्वारा राजकीय भूमियों को शुद्धिपत्रां को आधार बनाकर व्यक्ति विशेष के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करके राजकीय भूमियों को अनाधिकृत रूप से खुर्द-बुर्द करने की कार्यवाही की गई है। उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ द्वारा उक्त मामलों में से 9 मामलों में आवंटन प्रविष्टि को निरस्त किया गया है, जिनमें से पांच प्रकरणों में जरिए नामान्तरकरण भूमि खारिज हो चुकी है। शेष रहे प्रकरणों में भूमि राजहित में दर्ज होना प्रकट नहीं हुआ है। खारिजी के प्रकरणों में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार स्तर पर परीक्षणोपरांत रिकॉर्ड को आदिनांक करने हेतु निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है, साथ ही उक्त प्रकरणों के संबंध में तहसीलदार छतरगढ़ द्वारा अनियमित/कूटरचित प्रविष्टियों के संबंध में तहसीलदार द्वारा थानाधिकारी छतरगढ़ को प्राथमिकी हेतु पत्र क्रमांक 517 दिनांक 05.02.2024 प्रेषित किया गया है। इस प्रकार छतरगढ़ तहसील के ग्राम मोतीगढ़, नापासरिया, सरदारपुरा, राजासर भाटीयान, कुण्डा, घेघड़ा, सत्तासर व लूणखां की 1547 हैक्टेयर अर्थात् 6112 बीघा अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमियों का अपुष्ट व कूटरचित आवंटन आदेशों के आधार पर सुनियोजित योजना के तहत पटवारी एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा अदेय लाभ प्राप्तकर्ता प्रार्थीगणों के आवेदनों पर प्रस्तुत तथ्य व संलग्न साक्ष्यों की किसी प्रकार की जांच एवं परीक्षण किये बिना जानबूझकर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 101 भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम से अनाधिकृत प्रविष्टियां करके सरकारी भूमियों को खुर्द-बुर्द किया है। जिससे राज्य सरकार

डीएलसी दरों से लगभग 2500 लाख रूपये राजस्व हानि कारित हुई है। पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक व राजस्व अधिकारीगण द्वारा तथाकथित रूप से भिन्न भिन्न व्यक्तियों को अदेय लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी भूमियों का हस्तान्तरण एवं आवंटन की अनाधिकृत प्रविष्टियों की कार्यवाही जानबूझकर की गई है। इस प्रकार आर. नम्बर शिकायत 1426 दिनांक 13.03.2024 के संलग्न गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट से पाया गया कि ग्राम मोतीगढ़ में श्री सुरेन्द्र कुमार जाखड़ तहसीलदार, श्रीमती दीप्ति तहसीलदार, श्री मकसूद अली सम्मां भू-अभिलेख निरीक्षक, श्री सुभाष चन्द्र भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारीगण श्री सुशील मीणा, श्री विरेन्द्र सिंह, श्री जसवीर सिंह, श्री अजेन्द्र सिंह भाटी द्वारा आपराधिक अवचार का कृत्य करते हुए राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 व राजस्थान भूमि विक्रय एवं आवंटन नियम 1975 (उपनिवेशन क्षेत्र) के तहत निर्धारित प्रारूपों में वर्ष 1971-75 व इसके आगामी वर्षो की तिथियों के संदर्भित आवंटन आदेशों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। उक्त आरोपीगणो एवं अन्य लाभार्थीयों द्वारा राजकीय भूमियों को अनाधिकृत रूप से खुर्द-बुर्द करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादंसं का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। इसी प्रकार ग्राम सत्तासर बारानी में श्री कुलदीप सिंह तहसीलदार, श्री सुरेन्द्र कुमार जाखड़ तहसीलदार, श्री मुकेश गोदारा भू-अभिलेख निरीक्षक, श्री जसवीर सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारीगण श्री अजेन्द्र सिंह भाटी, श्री जयसिंह गुर्जर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 व राजस्थान भूमि विक्रय एवं आवंटन नियम 1975 (उपनिवेशन क्षेत्र) के तहत निर्धारित प्रारूपों में वर्ष 1971-75 व इसके आगामी वर्षों की तिथियों के संदर्भित आवंटन आदेशों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। उक्त आरोपीगणो एवं अन्य लाभार्थीयों द्वारा राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से खुर्द-बुर्द करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादंसं का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। इसी प्रकार ग्राम सरदारपुरा में श्री सरवरदीन भू-अभिलेख निरीक्षक (कार्यवाहक नायब तहसीलदार) एवं पटवारी श्री अजेन्द्र सिंह भाटी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 व राजस्थान भूमि विक्रय एवं आवंटन नियम 1975 (उपनिवेशन क्षेत्र) के तहत निर्धारित प्रारूपों में वर्ष 1971-75 व इसके आगामी वर्षों की तिथियों के संदर्भित आवंटन आदेशों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। उक्त आरोपीगणो एवं अन्य लाभार्थीयों द्वारा राजकीय भूमियों को अनाधिकृत रूप से खुर्द-बुर्द करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादंसं का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। इसी प्रकार ग्राम लूणखां में श्रीमती दीप्ति तहसीलदार, पटवारी श्री अजेन्द्र सिंह भाटी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 व राजस्थान भूमि विक्रय एवं आवंटन नियम 1975 (उपनिवेशन क्षेत्र) के तहत निर्धारित प्रारूपों में वर्ष 1971-75 व इसके आगामी वर्षों की तिथियों के संदर्भित आवंटन आदेशों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। उक्त आरोपीगणो एवं अन्य लाभार्थीयों द्वारा राजकीय भूमियों को अनाधिकृत रूप से खुर्द-बुर्द करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7 (सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादंसं का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। इसी प्रकार ग्राम घेघड़ा में श्री सुरेन्द्र कुमार जाखड़ तहसीलदार, श्री राजेश कुमार शर्मा नायब तहसीलदार, श्रीमती दीप्ति तहसीलदार, श्री मकसूद अली सम्मां भू-अभिलेख निरीक्षक, श्री जसवीर सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक, श्री सुभाष चन्द्र भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारीगण श्री देवराज, श्री विरेन्द्र सिंह, श्री विकास पूनियां द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 व राजस्थान भूमि विक्रय एवं आवंटन नियम 1975 (उपनिवेशन क्षेत्र) के तहत निर्धारित प्रारूपों में वर्ष 1971-75 व इसके आगामी वर्षों की तिथियों के संदर्भित आवंटन आदेशों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। उक्त आरोपीगणो एवं अन्य लाभार्थीयों द्वारा राजकीय भूमियों को अनाधिकृत रूप से खुर्द-बुर्द करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादंसं का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। इसी प्रकार ग्राम कुण्डा में श्रीमती दीप्ति तहसीलदार, श्री सुरेन्द्र कुमार भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी श्रीमती अनिता शर्मा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 व राजस्थान भूमि विक्रय एवं आवंटन नियम 1975 (उपनिवेशन क्षेत्र) के तहत निर्धारित प्रारूपों में वर्ष 1971-75 व इसके आगामी वर्षों की तिथियों के संदर्भित आवंटन आदेशों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। उक्त आरोपीगणो एवं अन्य लाभार्थीयों द्वारा राजकीय भूमियों को अनाधिकृत रूप से खुर्द-बुर्द करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित

2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादंसं का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। इसी प्रकार ग्राम नापासरिया में श्रीमती दीप्ति तहसीलदार, श्री सुरेन्द्र कुमार भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी श्रीमती अनिता शर्मा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 व राजस्थान भूमि विक्रय एवं आवंटन नियम 1975 (उपनिवेशन क्षेत्र) के तहत निर्धारित प्रारूपों में वर्ष 1971-75 व इसके आगामी वर्षों की तिथियों के संदर्भित आवंटन आदेशों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। उक्त आरोपीगणो एवं अन्य लाभार्थीयों द्वारा राजकीय भूमियों को अनाधिकृत रूप से खुर्द-बुर्द करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादंसं का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। इसी प्रकार ग्राम राजासर भाटियान में श्री राजेश कुमार शर्मा नायब तहसीलदार, श्री सुरेन्द्र कुमार भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी श्री पेमाराम सारण द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 व राजस्थान भूमि विक्रय एवं आवंटन नियम 1975 (उपनिवेशन क्षेत्र) के तहत निर्धारित प्रारूपों में वर्ष 1971-75 व इसके आगामी वर्षों की तिथियों के संदर्भित आवंटन आदेशों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। उक्त आरोपीगणो एवं अन्य लाभार्थीयों द्वारा राजकीय भूमियों को अनाधिकृत रूप से खुर्द-बुर्द करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादंसं का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। अतः उपरोक्तानुसार 1. श्री सुरेन्द्र कुमार जाखड़ तत्कालीन तहसीलदार छतरगढ हाल सेवानिवृत, 2. श्री कुलदीप सिंह तत्कालीन तहसीलदार छतरगढ़, 3. श्रीमति दीप्ति तत्कालीन तहसीलदार छतरगढ़, 4. श्री राजेश कुमार शर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार, 5. श्री सरवरदीन तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यवाहक नायब तहसीलदार, 6. श्री मकसूद अली सम्मां तत्कालीन भू- अभिलेख निरीक्षक हाल सेवानिवृत, 7. श्री सुभाष चन्द्र तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक, 8. श्री मुकेश गोदारा भू अभिलेख निरीक्षक, 9. श्री जसवीर सिंह तत्कालीन पटवारी अति. चार्ज भू-अभिलेख निरीक्षक, 10. श्री सुरेन्द्र कुमार भू-अभिलेख निरीक्षक, 11. श्री सुशील मीणा तत्कालीन पटवारी 12. श्री विरेन्द्र सिंह तत्कालीन पटवारी, 13. श्री अजेन्द्र सिंह भाटी तत्कालीन पटवारी, 14. श्री जयसिंह गुर्जर तत्कालीन पटवारी, 15. श्री देवराज तत्कालीन पटवारी, 16. श्री विकास पूनियाँ तत्कालीन पटवारी, 17. श्रीमति अनिता शर्मा तत्कालीन पटवारी, 18. श्री पेमाराम सारण तत्कालीन पटवारी द्वारा लाभार्थी व्यक्तियों से आपसी मिलीभगत कर अपने-अपने पद का दुरूपयोग करते हुए आपराधिक षड़यंत्र पूर्वक राजकीय भूमियों को अपुष्ट व कूटरचित आवंटन आदेशों के आधार पर सुनियोजित योजना के तहत राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर राजकीय भूमि को खुर्द बुर्द किये जाने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादंसं का घटित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। अतः उपरोक्त लोकसेवक आरोपीगण क्रम संख्या 01 से 18 एवं अन्य के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन सादर प्रेषित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बीकानेर।...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद शर्मा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7(सी), 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 409 व 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सुरेन्द्र कुमार जाखड़ पुत्र श्री सत्यप्रकाश जाखड़, उम्र 65 वर्ष, निवासी 77 पटेल नगर, ताराचंद वाटिका रोड़, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर तत्कालीन तहसीलदार छतरगढ़ हाल सेवानिवृत तहसीलदार,2. श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह कस्वा, उम्र 42 वर्ष, निवासी गांव उतरादा बास, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ तत्कालीन तहसीलदार छतरगढ हाल तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर,3. श्रीमती दीप्ति पुत्री श्री सीताराम, उम्र 47 वर्ष, निवासी मकान नंबर 327, पृथ्वीराज नगर, यूआईटी कॉलोनी, भगवानगंज, अजमेर तत्कालीन तहसीलदार छतरगढ़ हाल निलम्बित,4. श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री फूलचंद शर्मा, उम्र 51 वर्ष, निवासी गांव पोस्ट गांधरा, तहसील व जिला रोहतक, हरियाणा तत्कालीन नायब तहसीलदार छतरगढ़ हाल उप तहसीलदार राजियासर,5. श्री सरवरदीन पुत्र श्री माझी खां पड़िहार, उम्र 54 वर्ष, निवासी भूटों का बास, मस्जिद के पास, बीकानेर तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक कार्य व्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार छतरगढ़ हाल मुख्यालय राजस्व मण्डल अजमेर,6. श्री मकसूद अली सम्मां पुत्र श्री मुसे खां, उम्र 62 वर्ष, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, मकान नंबर 79, बीकानेर तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक तहसील छतरगढ़ हाल सेवानिवृत,7. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र 41 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 04, वीपीओ कोहला, तहसील व जिला हनुमानगढ़ तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक तहसील छतरगढ़ हाल उपखण्ड अधिकारी कार्यालय नोखा,8. श्री मुकेश गोदारा पुत्र श्री मोतीलाल गोदारा, उम्र 36 वर्ष, निवासी मकान नंबर 164, सैक्टर नंबर 06, नजदीक चूना फाटक हनुमानगढ़ जंक्शन तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक, तहसील छतरगढ़ हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत चाहूवाली, कार्यालय तहसीलदार भू.अ. टिब्बी, जिला

हनुमानगढ़,9. श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी बी-78, कान्ता खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर, तत्कालीन पटवारी अति. चार्ज भू अभिलेख निरीक्षक तहसील छतरगढ़ हाल उपखण्ड कार्यालय नोखा,10. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री पूर्णचन्द, उम्र 54 वर्ष, निवासी गांव पतरोड़ा, तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर, तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक, तहसील छतरगढ़ हाल उपखण्ड अधिकारी कार्यालय कोलायत,11. श्री सुशील मीणा पुत्र श्री राजकुमार मीणा, उम्र 34 वर्ष, निवासी गली नंबर 18, दरगाह वाली गली, अशोका भवन के सामने, रामपुरा बस्ती, लालगढ़, बीकानेर तत्कालीन पटवारी, तहसील छतरगढ़ हाल पटवारी हल्का बांट, तहसील रेवदर, जिला सिरोही,12. श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चानण सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी 1 बी, पोस्ट ऑफिस 2बी, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर, तत्कालीन पटवारी, तहसील छतरगढ़ हाल उपखण्ड अधिकारी कार्यालय कोलायत,13. श्री अजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री भानी सिंह, उम्र 37 वर्ष, निवासी बंगाली मंदिर के पास, रानी बाजार, बीकानेर, तत्कालीन पटवारी, तहसील छतरगढ़ हाल उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बज्जू,14. श्री जयसिंह गुर्जर पुत्र श्री प्रभातराम गुर्जर, उम्र 56 वर्ष, निवासी ग्राम मीरापुर, पोस्ट द्वारिकपुरा, वाया प्रागपुरा, जिला जयपुर, राज. तत्कालीन पटवारी, तहसील छतरगढ़ हाल पटवारी कार्यालय जिला कलक्टर भू अभिलेख, चित्तौड़गढ़,15. श्री देवराज सिंह पुत्र श्री जुग्गा सिंह, उम्र 63 वर्ष, निवासी 34 पूजा एनक्लेव फेज 1, करणी नगर, बीकानेर तत्कालीन पटवारी, तहसील छतरगढ़ हाल सेवानिवृत,16. श्री विकास पूनियाँ पुत्र श्री राजेन्द्र पूनियाँ, उम्र 27 वर्ष, निवासी बजरंग कॉलोनी, वल्लभ गार्डन, बीकानेर तत्कालीन पटवारी, तहसील छतरगढ़ हाल तहसील कार्यालय जसरासर,17. श्रीमति अनिता शर्मा पुत्री श्री आत्माराम शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी 11/282 मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर तत्कालीन पटवारी, तहसील छतरगढ़ हाल तहसील कार्यालय हदां,18. श्री पेमाराम सारण पुत्र श्री तुलछाराम सारण, उम्र 41 वर्ष, निवासी गांव रामनगर, पोस्ट राणेर मय दामोलाई, तहसील छतरगढ़, तत्कालीन पटवारी, तहसील छतरगढ़ हाल तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़,19. अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री आशिष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, एस.यू.बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 63 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 256-64 दिनांक 06-03-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-निबन्धक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर । 4- जिला कलक्टर, बीकानेर,5-जिला कलक्टर, हनुमानगढ 6-जिला कलक्टर, सिरोही, 7- जिला कलक्टर कोटपूली-बहरोड, 8-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। 9-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (शिकायत आर.न.1426) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ashish Kumar **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/03/2025 11:

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	14/05/1959				
2	Male	04/03/1984				
3	Female	19/03/1977				
4	Male	27/07/1973				
5	Male	09/03/1971				
6	Male	01/02/1962				
7	Male	17/01/1984				
8	Male	30/08/1988				
9	Male	04/12/1984				
10	Male	16/12/1970				
11	Male	07/12/1990				
12	Male	08/12/1984				
13	Male	20/07/1987				
14	Male	01/07/1968				
15	Male	01/07/1961				
16	Male	25/03/1997				
17	Male	13/02/1978				
18	Male	13/06/1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)